<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>(1) प्रकरण संख्या : निगरानी/टीए/11235/2001/हनुमानगढ</u>

राजस्थान सरकार

.....प्रार्थी

बनाम

1. राधाकिशन दत्तक पुत्र श्रीमती मघी
2. बदरूराम पुत्र भोमाराम – मृतक (कायममुकाम)
   - 2/1. मु0 यशोदा देवी बेवा बदरूराम जाति ब्राहमण ग्राम किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
   - 2/2. गीतादेवी पुत्री बदरूराम पत्नि बद्रीप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी भूकरमा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
   - 2/3. रामेश्वरलाल पुत्र बदरूराम
   - 2/4. सीताराम पुत्र बदरूराम
   - 2/5. गोपीराम पुत्र बदरूराम – मृतक (कायममुकाम)
   - 2/2/1. मु0 मोहनीदेवी बेवा गोपीराम
   - 2/2/2. सुभाष
   - 2/2/3. नरेन्द्र
   - 2/2/4. सुरेन्द्र

   –पुत्रगण गोपीराम
   - 2/2/5. रानी
   - 2/2/6. सोना

   –पुत्रियां गोपीराम निवासीगण ग्राम किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
3. रेखाराम पुत्र नेताराम – मृतक (कायममुकाम)
   - 3/1. श्रीमती परमेश्वरीदेवी पत्नि रेखाराम
   - 3/2. कृष्णादेवी पुत्री पत्नि भूराम साकिन बिल्लापटटी तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर, पंजाब।
   - 3/3. जगदीश प्रसाद पुत्र रेखाराम
   - 3/4. देवीलाल पुत्र रेखाराम

   –समस्त निवासीगण ग्राम किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
   - 3/5. गुडडीदेवी पुत्री रेखाराम पत्नि शंकरलाल निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
   - 3/6. हनुमान
   - 3/7. रमेशकुमार
   - 3/8. भगवानाराम

   –समस्त निवासीगण ग्राम किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
4. भागीरथ पुत्र नेताराम
5. पतराम पुत्र नेताराम

–समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

.....अप्रार्थीगण

निगरानी/टीए/11235/2001/हनुमानगढ
सरकार बनाम राधाकिशन व अन्य
निगरानी/टीए/11236/2001/हनुमानगढ
सरकार बनाम राधाकिशन व अन्य

(2) प्रकरण संख्या : निगरानी/टीए/11236/2001/हनुमानगढ

राजस्थान सरकार

.....प्रार्थी

बनाम

1. राधाकिशन दत्तक पुत्र श्रीमती मघी
2. मु0 यशोदा देवी बेवा बदरूराम –नाम तर्क आदेश दि. 10–7–2002 द्वारा
3. सीताराम पुत्र बदरूराम
4. श्रीमती गीतादेवी पुत्री बदरूराम
5. रामेश्वरलाल पुत्र बदरूराम
6. गोपीराम पुत्र बदरूराम – मृतक (कायममुकाम)
   - 6/1. मु0 मोहनीदेवी बेवा गोपीराम
   - 6/2. सुभाष
   - 6/3. नरेन्द्र
   - 6/4. सुरेन्द्र

   –पुत्रगण गोपीराम
   - 6/5. रानी
   - 6/6. सोना

   –पुत्रियां गोपीराम निवासीगण ग्राम किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

7. रेखाराम पुत्र नेतराम – मृतक (कायममुकाम)
   - 7/1. श्रीमती परमेश्वरीदेवी पत्नि रेखाराम
   - 7/2. कृष्णादेवी पुत्री पत्नि भूराम साकिन बिल्लापटटी तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर, पंजाब।
   - 7/3. जगदीश प्रसाद पुत्र रेखाराम
   - 7/4. देवीलाल पुत्र रेखाराम

   –समस्त निवासीगण ग्राम किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
   - 7/5. गुडडीदेवी पुत्री रेखाराम पत्नि शंकरलाल निवासी पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
   - 7/6. हनुमान
   - 7/7. रमेशकुमार
   - 7/8. भगवानाराम

   –समस्त निवासीगण ग्राम किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
8. भागीरथ पुत्र नेतराम
9. पतराम

.....अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

निगरानी/टीए/11235/2001/हनुमानगढ
सरकार बनाम राधाकिशन व अन्य
निगरानी/टीए/11236/2001/हनुमानगढ
सरकार बनाम राधाकिशन व अन्य

उपस्थितः–
श्री खुर्शीद अनवर, उपराजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री मनीष पाण्डया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 27–06–2018

यह दोनों निगरानियां अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित एक ही निर्णय दिनांक 31–7–1995 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. दोनों मामलों में एक ही विवादित बिन्दु निहित होने के कारण तथा पक्षकार समान होने से इनका निस्तारण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जाए।

3. हस्तगत दोनों प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–7–1995 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष दिनांक 24–9–1996 को विलम्ब से प्रस्तुत किए। उक्त कारित विलम्ब को क्षमा करने बाबत भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय कारणों के प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में दोनों पक्षों को सुना। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारण सद्भावी तथा ठोस होने के कारण उन पर विश्वास किया जाकर प्रकरण में कारित विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रकरण को अदंर मियाद शुमार किया जाता है।

4. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष राधाकिशन दत्तक पुत्र मु0 मघी बेवा शंकरलाल ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संशोधन अधिनियम 1983 की धारा 15–एएए (3) 8 सपठित धारा 88 के तहत पूर्व 1955 के धारित रकबे को खातेदारी अधिकार प्रदान करने बाबत प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि ग्राम किकरालिया तहसील रावतसर के

चक नम्बर 2 केकेएम (ए) के मुरब्बा नम्बर 217/46 किला नम्बर 2 रकबा 0–18, 3 रकबा 1–00, 7 ता 9 रकबा 2–19, 12 ता 19 रकबा 8–00, 22 रकबा 0–19, 23 ता 25 रकबा 3–00 मुरब्बा नम्बर 217/45 किला नम्बर 22 रकबा 0–13 , 23 ता 25 रकबा 3–00, मुरब्बा नम्बर 217/47 किला नम्बर 2 रकबा 0–19 कुल तादादी 21 बीघा 8 बिस्वा कमाण्ड नहरी रकबा बाद गैरमुमकिन है जो प्रार्थी स्वयं व उसके पूर्वजों के मुतबावर कब्जा व काश्त में चला आ रहा है। जिसमें निवेदन किया गया कि विवादित भूमि मंदिर ठाकुरजी महाराज वाल्दे किकरालिया हटाया जाकर प्रार्थियान को इनके स्थान पर खातेदार घोषित किया जाए। इसी प्रकार का दूसरा आवेदन पत्र बदरूराम पुत्र भोमाराम ने इस आशय का पेश किया कि ग्राम किकरालिया तहसील रावतसर के चक नम्बर 2 केकेएम (ए) के मुरब्बा नम्बर 217/47 किला नम्बर 3 ता 8 रकबा 6–00, 13 ता 18 रकबा 6–00, 23 ता 25 रकबा 3–00, मुरब्बा नम्बर 217/55 किला नम्बर 1 रकबा 1–00, किला नम्बर 21 रकबा 1–00, मुरब्बा नम्बर 217/56 किला नम्बर 1 रकबा 1–00, मुरब्बा नम्बर 217/48 किला नम्बर 4,5,7 रकबा 3–00 कुल तादादी 21 बीघा कमाण्ड नहरी रकबा बाद गैरमुमकिन प्रार्थी स्वयं व उसके पूर्वजों के मुतबातिर कब्जाकाश्त में चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि विवादित भूमि मंदिर ठाकुरजी महाराज वाल्दे किकरालिया हटाया जाकर प्रार्थियान को इनके स्थान पर खातेदार घोषित किया जाए। इसी प्रकार का तीसरा एक अन्य प्रार्थना पत्र रेखाराम, भागीरथ, पतराम पुत्रगण नेताराम द्वारा इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम किकरालिया स्थित आराजी खसरा संख्या 377 तादादी रकबा 48 बीघा 16 बिस्वा अनकमाण्ड बाद गैरमुमकिन है जो प्रार्थीगण स्वयं व उसके पूर्वजों के मुतबातिर कब्जाकाश्त में चला आ रहा है। उक्त तीनों प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि विवादित भूमि मंदिर ठाकुरजी महाराज वाल्दे किकरालिया हटाया जाकर प्रार्थियान को इनके स्थान पर खातेदार बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा दर्ज करवाने का आदेश प्रदान किया जाए। विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर नोहर मुख्यालय भादरा ने उक्त तीनों प्रार्थना पत्र को उपलब्ध रेकार्ड तथा उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 30–8–1991 पारित किया। उक्त आदेश में विवेचन किया कि वादीगण राधाकिशन व वादी संख्या 2 बदरूराम और उसके

उत्तरधिकारीगण का तर्क नम्बर दो बाबत दुरूस्ती इन्द्राज रेकार्ड इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मामला अवधिपार हो चुका है। इसलिए चालू रेकार्ड का इन्द्राज पूर्ववत बना रहेगा, अतः दावा खारिज किया जाता है। लेकिन वादी संख्या 1 राधाकिशन एवं वादी संख्या 2 बदरूराम या उनके उत्तराधिकारियों को प्रश्नास्पद भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकेगा और किसी हिस्सेदार की फौतदगी पर रेकार्ड में इन्द्राज वंशानुगत किया जाता रहेगा।

5. सहायक जिला कलक्टर नोहर के उक्त निर्णय दिनांक 30–8–1991 के विरूद्ध अपील संख्या 306/1994 राधाकिशन व अपील संख्या 379/1994 राज्य सरकार ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त दोनों अपीलों में उपलब्ध रेकार्ड तथा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने एक ही निर्णय दिनांक 31–7–1995 द्वारा निस्तारित की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में विवेचित किया कि राज्य सरकार द्वारा जो अपील पेश की गई है, उसमें ठोस तथ्य एवं कारण नहीं है न ही किसी विधि द्वारा समर्थित है। विरोधाभासी कथन भी इस प्रकरण में सिद्ध है, ऐसी सूरत में अपील अपीलान्ट सरकार खारिज की जाती है और रेस्पोडेन्ट रेखाराम, भागीरथ, पतराम पिसरान नेताराम की स्थिति मौका व रेकार्ड में जो कायम है, पूर्ववत बनी रहेगी। राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित उक्त एक निर्णय दिनांक 31–7–1995 के विरूद्ध राज्य सरकार ने यह दोनों निगरानियां मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस निगरानी पर सुनी।

7. विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि की खातेदारी राधाकिशन को नहीं दी जा सकती, क्योंकि मूर्ति मंदिर के नाम अंकित भूमि पर धारा 46 काश्तकारी अधिनियम के प्रतिबंध के कारण किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तथा राज्य सरकार की अपील को खारिज करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधिक त्रुटि

की है, क्योंकि धारा 15एएए के अन्तर्गत एक सीमित समय सीमा के अंदर खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा सकते थे। उसके पश्चात दी गई खातेदारी कानून के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में राज्य सरकार के विरूद्ध पारित आक्षेपित निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी को कॉस्ट अधिरोपित करने के साथ स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

8. अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि जागीरी ऐरिया की भूमि के कदीमी काश्तकारों का जिनका पीढियों से सतत कब्जा व काश्त पीढी दर पीढी चला आ रहा को खातेदार माने गये है। अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम विवादित आराजी की खातेदारी दर्ज है। मुताबिक पर्चा खतौनी खसरा संख्या 85 रकबा 41 बीघा 12 बिस्वा खातेदारी स्वयं की थी, जिस बाबत उनके पूर्वजों को सूचना दिए बिना तथा बिना सहमति के देवमूर्ति मंदिर ठाकुरजी महाराज वाल्देह किकरालिया के नाम बतौर खातेदारी में दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात बंदोबस्त का कार्य प्रारम्भ हुआ। उनका कथन है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24–5–2007 के द्वारा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 की पालना के निर्देश जारी किए गए है। उक्त परिपत्र में अंकित है कि मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गई थी तथा अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया, जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी बनाये रखने के अधिकार प्रदान किए है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13–12–1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वारिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है। ऐसी भूमियों के संबंध में जो मंदिर माफी की थी, के संबंध में अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे, वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। उनका तर्क है कि

धारा 9 में यह व्यवस्था दी है कि जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार बाबत जागीर भूमियों के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्निहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगी और ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा। उनका यह भी तर्क है कि राज्य सरकार के नवीनतम परिपत्र दिनांक 25–11–2011 में स्पष्ट व्याख्या इस प्रकार की गई कि जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार– जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है से अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा। उक्त प्रावधान के अनुसार अर्हता रखने वाले मूर्तिमाफी के काश्तकार को पुनर्ग्रहण की दिनांक से कानूनी रूप से खातेदारी अधिकार प्रोदभूत हो गये। आगे बताया कि परिपत्र दिनांक 24–5–2007 के अनुसार धारा 9 की पालना सुनिश्चित करने बाबत निबन्धक राजस्व मण्डल द्वारा राज्य के समस्त राजस्व न्यायालयों को दिनांक 6–1–2010 को पत्र भी जारी किया गया है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अन्त में उन्होंने निगरानी को खारिज करने की प्रार्थना की।

9. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन व अध्ययन किया।

10. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन से प्रतीत होता है कि खसरा संख्या 85 रकबा 41 बीघा 12 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वजों के की खातेदारी में रही है। जिसे तत्कालीन जागीरदार ने उन्हें प्रदान की है। उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार सम्वत 2009, वर्ष 1813 से 1952 की अवधि तक विवादित आराजी अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम गैरखातेदारी व

खातेदारी की रही है। अप्रार्थीगण का आक्षेप है कि बंदोबस्त विभाग ने उनका पक्ष सुने बिना ही असंबद्ध व्यक्ति के बयान के आधार पर, जिनका आराजी से संबंध नहीं था, उन्हें नुकसान पहुंचाने की गरज से रेकार्ड में परिवर्तन कर नक्शा खाना में विवादित आराजी को मंदिर की खातेदारी में सम्मिलित कर दिया गया। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि बंदोबस्त विभाग को पुराने इन्द्राजातों की पुनरावृत्ति करने की अधिकारिता प्राप्त है न कि पुराने इन्द्राजातों को परिवर्तित कर नये इन्द्राज किया जावे। पत्रावली में शामिल ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जाकाश्त है। बंदोबस्त के दौरान पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा के अनुसार विवादित आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। बंदोबस्त के दौरान तैयार पर्चा खतौनी सम्वत 2001 के अनुसार राधाकिशन व बदरूराम की खातेदारी का दर्शाया गया है। नक्शा तनकीह हकूक खाता मु0 नौरा वगैरहा में कांट–छांट कर और श्री नेताराम के बयानों के आधार पर भूमि खसरा संख्या 85 माफी मंदिर का बताया गया। रकम रसीद सन 1914 से 1933 तक रकम कायम सम्वत 2011 से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ने भूराजस्व अदा किया है। बदोबस्त सम्वत 2001 से काफी वर्ष पूर्व मु. मघी व बदरूराम गांव किरालिया छोड चुके थे, माफी उसे ही दी जा सकती है जो सेवा पाठ–पूजा करें। जब वे यहां थे ही नहीं तो माफी मंदिर दिया जाना कतई सम्भव नहीं था। इस प्रकार नेतराम की गलत बयानी के आधार पर आराजी मंदिर के नाम लिखित हुई।

11. हस्तगत मामले में यह निर्विवादित तथ्य है कि विवादित आराजी जागीर की भूमि है। ऐसी भूमि के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24–5–2007 के द्वारा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 की पालना के निर्देश जारी किए गए है। उक्त परिपत्र में अंकित है कि मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गई थी तथा अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया, जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पटटेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस

व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी बनाये रखने के अधिकार प्रदान किए है। रेकार्ड में उपलब्ध राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24-5-2007 के अनुसार धारा 9 की पालना सुनिश्चित करने बाबत निबन्धक राजस्व मण्डल द्वारा राज्य के समस्त राजस्व न्यायालयों को दिनांक 6-1-2010 को पत्र भी जारी किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने मामले में 47 बीघा 18 बिस्वा भूमि मंदिर मूर्ति ठाकुरजी महाराज की खातेदारी की मानी है, वह आदिनांक को भी रेकार्ड पर मौजूद है।

12. हम यहां माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की लार्जर बैच द्वारा दिनांक 15-7-2015 को पारित निर्णय का सुसंगत भाग को विवेचित करना उचित समझते है। उक्त पारित निर्णय के पैरा संख्या 25 में निम्नानुसार व्याख्या की गयी हैः-

> "In our opinion, on the aforesaid settled principles of law, the Hindu idol (deity) could only hold such lands in Jagir, which shebait/Pujari was cultivating for such deity, having direct nexus with agricultural operations either themselves of through hired labour or servant or servant engaged by them as to clain to be khudkasht and to be protected from resumption/acquisition under the jagirs Act of 1952. If the land was given for cultivation to a tenant or was cultivated through a tenant such land became khatedari of the tenant and on which the tenant and on which the tenant had direct relation with the State. The Jagirs Act of 1952 took away all the rights of the jagirdars including Hindu Idol (deity) as Dolidar or Muafidar on the land cultivated by the tenants. They ceased to have any right on such land. The shebait/Pujari could not have any right on such land. The Shebait/Pujari could not have any independent status to have claimed any right over such land cultivated by tenants. Such tenancy could also not be regarded as sub-tenant of Hindu Idol (deity) to confer any right on the Hindu Idol (deity)

उक्त विधिक विनिश्चय व राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24-5-2007 एवं दिनांक 25-11-2011 में की गयी व्याख्या के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी में कोई विधिक व सारवान उपचार उपलब्ध नहीं होने के कारण सारहीन होना प्रकट होती है।

इस प्रकार हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आदेश विधि सम्मत् है। इसके अतिरिक्त निगरानी का स्कोप भी सीमित है जिसमें केवल यह देखना है कि आक्षेपित आदेश अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में रहकर विधि सम्मत् पारित किया गया है या नहीं। हस्तगत प्रकरण में हमारा मत है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ ने अपने क्षेत्राधिकार में रहकर विधि सम्मत् निर्णय पारित किया है जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

13. परिणामस्वरूप यह दोनों निगरानियां खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 31–7–1995 यथावत् रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(द्वारका लाल मीणा)
सदस्य